संख्या— / ।।(02)—2019—03(31)/2018

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग—02 **देहरादून : दिनांक 28 जून, 2019**

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2019—20 में जनपद पौड़ी में विकासखण्ड पौड़ी के अन्तर्गत ल्वाली झील के निर्माण की योजना की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।** (डा॰ सं॰ 259/2019)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1615/प्र0अ0/सिं0वि0/ नि0अनु0/सी0एम0 (योजना), दिनांक 13.05.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019—20 में जनपद पौड़ी में विकासखण्ड पौड़ी के अन्तर्गत कुल लागत रू0 692.77 लाख की ल्वाली झील के निर्माण की योजना के क्रियान्वयन हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने सहित टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत कुल धनराशि रू0 692.77 लाख के सापेक्ष जल संबर्द्धन एवं जल संरक्षण मद में उपलब्ध बजट प्राविधान रू0 500.00 लाख के अन्तर्गत प्रथम किस्त के रुप में धनराशि रु0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(i) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधित स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(ii) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जायं।

(iii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

(iv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जायेगी।

(v) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(vi) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

(vii) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशो का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(viii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं संशोधित नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः.........2

(ix) त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(x) आवंटित धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। यदि आवंटित धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि समर्पित होगी तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अभियन्ता का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(xi) धनराशि आहरण/सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(xii) निर्माण सामग्री यथा पाईप, सीमेन्ट, स्टील एवं प्रयुक्त अन्य सामग्री का Frequency के अनुरूप से I.R.I/N.A.B.L Laboratory से परीक्षण अवश्य करा लिया जाए।

(xiii) प्रोक्योरमेंट मदों के सम्बन्ध में अधिप्राप्ति नियमावली–2017 का पालन किया जायेगा।

(xiv) आंगणन में कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग की एस0ओ0आर0 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टयां भी उल्लिखित हैं। विशिष्टियां तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी दशा में कार्यदायी संस्था तथा प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोंण से कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आगणन में समायोजन करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।

(xv) मितव्ययता के दृष्टिकोंण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन को अवगत करायेंगे।

(xvi) RBM एवं अन्य गाद आदि के Filteration हेतु योजना के अपस्ट्रीम में बल्लाक्रेट/वायरक्रेट का प्रयोग कर जलाशयों में प्रवाहित होने वाली गाद एवं आर0बी0एम0 बोल्डर्स की रोकथाम का प्रयास किया जाय।

(xvii) योजना की तृतीय पक्ष गुणवत्ता का कार्य नियोजन विभाग द्वारा किया जायेगा।

(xviii) योजना में प्रस्तावित संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, डिजायन Criteria एवं संरचनाओं की Detailed Structural Design तथा ड्राइंग राज्य योजना आयोग को उपलब्ध कराये जाये। Detailed Structural Design की वैटिंग/परीक्षण का कार्य, सिंचाई परिकल्पन संस्थान/विभाग द्वारा स्वयं किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–051–निर्माण–02–जल संवर्धन, जल संरक्षण एवं पेयजल आपूर्ति हेतु जलाशयों आदि का निर्माण– 24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 186 /XXVII(2)/2019, दिनांक 28 जून, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः–अलॉटमेन्ट आई0डी0

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

क्रमशः.....3

संख्या-740(1)/ I I(02)-2019-03(31)/2018,तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मा0 मुख्यमंत्री(घोषणा) अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)

संयुक्त सचिव।